न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 13/24 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2024/64

उनवान

1. घनश्याम
2. मोहनलाल
3. ओमप्रकाश
4. प्रेमदेव

} पिस0 रामलल्लू जाति ब्राहम्ण नि0 कस्बा भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मदनलाल
2. विश्म्भर
3. भगवान सिंह
4. रेवती
5. बिहारी
6. हीरालाल

} पिसरान कजौडी जाति माली निवासी जैन मन्दिर के पास कस्बा भुसावर जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोडेण्ट

7. विरमा देवी पुत्री रामलल्लू पत्नि बाल किशन जाति ब्राहम्ण निवासी आनौर जिला मथुरा उ0प्र0।
8. लक्ष्मी देवी पुत्री रामलल्लू पत्नि श्री बल्लभ जाति ब्राहम्ण निवासी सेवर जिला भरतपुर।
9. राजेश्वरी पुत्री रामलल्लू पत्नि ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी रूपवास जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी भुसावर दि0 12.03.2016 प्र.सं. 21/13 उनवानी रामलल्लू बनाम मदनलाल।

उपस्थित :–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा एवं हेमराज शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री मोहन सिंह राणा वकील रैस्पो0।

निर्णय

दिनांक–06.12.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 2237 रकवा 05 बीघा 03 विस्वा में से 03 विस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विभाग द्वारा भुसावर से रणधीरगढ सडक के लिये अवाप्त की जा चुकी है एवं सडक निर्माण भी किया जा चुका है। शेष 5 बीघा भूमि जो वाके कस्बा भुसावर तहसील भुसावर में स्थित है का वादी अपीलाण्ट राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। परन्तु प्रतिवादीगण रैस्पो0 जबरन ताकत के बल पर वादी अपीलाण्ट की आराजी को हडपना चाहते हैं। यदि वह अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो वादीगण अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी रैस्पो0 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2016 से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलाण्ट का दावा साक्ष्य के अभाव में खारिज किया है। अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 2237 रकवा 5 बीघा है जिसके मध्य से सडक निकली है। जिससे उक्त खसरा नम्बर के दो भाग हो गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.02.2016 व 18.02.2016 में ओवर राईटिंग एवं कॉट–छॉट है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलाण्ट को सूचना दिये पेशियॉ बदल दी एवं साक्ष्य बंद कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.08.2015 को तनकीयात कायम की गयी हैं। परन्तु अपीलाधीन आदेश तनकीवार नहीं किया। इस प्रकार आदेश 20 नियम 05 की पालना नहीं की गयी है। यदि बिना तनकीयात का निर्णय किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है तो वह आरम्भ से ही शून्य है एवं इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी की भी साक्ष्य बंद नहीं की एवं अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। प्रकरण में अपील प्रस्तुत करते समय डिक्री नहीं बनी थी। तत्पश्चात् डिक्री बनने पर न्यायालय में डिक्री की नकल प्रस्तुत कर दी गयी। जमाबन्दी लोक दस्तावेज है। उस पर प्रदर्श डालने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था, जो नहीं किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 2008 पेज 696, आरआरटी 2003(1) पेज 709, 2015(2) पेज 813, 1283 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपील अपूर्ण है क्योंकि अपील के साथ डिक्री की नकल प्रस्तुत नहीं की गयी है। डिक्री की सत्यापित प्रति अपील के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जब अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्ष की साक्ष्य ही नहीं दस्तावेजो पर प्रदर्श ही नहीं डले तो अधीनस्थ न्यायालय तनकीवार निर्णय किस प्रकार

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

करता। विवादित आराजी के मध्य में से सडक निकलने एवं दो भागो में विभाजित होने का कोई दस्तावेज अपीलाण्ट द्वारा ना तो अपील में एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत ही नहीं किया। बिना दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक कथन सारपूर्ण नहीं है। इसके अलावा विवादित आराजी का विभाजन नहीं हुआ है एवं बिना विभाजन धारा 188 का दावा चल ही नहीं सकता। उक्त दावे में वादी अपीलाण्ट के अलावा अन्य सहखातेदार भी मौजूद हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.02.2016 व 18.02.2016 में अग्रिम पेशी दिनांको में कॉट–छॉट हो रही है एवं इन्हीं आदेशिकाओ से वादी अपीलाण्ट की साक्ष्य बंद की गयी है। अतः प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट के कथन सारपूर्ण नजर आते हैं। इसके अलावा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तीन तनकियॉ निर्धारित की गयी हैं। परन्तु निर्णय तनकीवार नहीं है। जबकि प्रकरण में एक बार तनकी कायम होने पर निर्णय तनकीवार दिया जाना आवश्यक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 20 नियम 5 सीपीसी की भी पालना नहीं की गयी है। इसके अलावा दिनांक 18.02.2016 को साक्ष्य वादी अपीलाण्ट बंद कर साक्ष्य प्रतिवादी हेतु अग्रिम पेशी निर्धारित की गयी है। परन्तु साक्ष्य प्रतिवादी बंद किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो न्यायालय की प्रक्रियात्मक चूक को दर्शाता है। लिहाजा उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2016 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः तनकीवार तार्किक निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.01.2024 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर